एक नजर

दो युवतियों के गुटों में लात-घूंसे चले

इंदौर,(नप्र)। हीरानगर थाना क्षेत्र के बजरंग नगर में सावन के तीसरे सोमवार को निकली पालकी यात्रा के दौरान दो युवतियों के गुटों में विवाद हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया हैं। हालांकि, पुलिस को इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पालकी यात्रा के दौरान दो युवतियों के गुटों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाए। इसी दौरान एक युवती और उसके साथी को अन्य लड़कियों ने घेरकर पीटा। मौके पर मौजूद रहवासियों और श्रद्धालुओं ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया।

हिस्ट्रीशीटर बदमाश ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार

इंदौर,(नप्र)। क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा संदिग्ध लोगों की चेकिंग करते राजकुमार सब्जी मंडी सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास इंदौर एक व्यक्ति संदिग्ध दिखा जो पुलिस को देख घबराने लगा, जिसे घेराबंदी कर रोका, पूछताछ पर आरोपी के द्वारा अपना नाम रवि उर्फ काला रघुवंशी उम्र 52 वर्ष निवासी पंढरीनाथ इंदौर का होना बताया। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि नशा करने का आदि है और नशे की लत पूरी करने की नियत से अवैध मादक पदार्थ सस्ते में खरीदीकर महंगे दामों पर नशे के आदि लोगों बिक्री करने का कार्य करना कबूला है।आरोपी के कब्जे से 11.78 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ह्लब्राउन शुगरह्न जप्त कर, आरोपी के विरुद्ध थाना अपराध शाखा में अपराध पंजीबद्ध कर, विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं ।

फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर जमानत करवाने वाला आरोपी गिरफ्तार

इंदौर,(नप्र)। क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत करवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर थाना अपराध शाखा में आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिसमे संलिप्तता के आधार पर 36 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है उसी प्रकरण में गिरोह से जुड़े हुए फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर फर्जी तरीके से जमानत करवाने वाले अन्य आरोपी अकरम उर्फ बिजली उम्र 35 साल निवासी हिना पैलेस खजराना इंदौर को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।

जुलाई में अब तक 31 करोड़ यूनिट बिजली वितरित

इंदौर। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जुलाई माह में इंदौर शहर वृत्त में अब तक 31 करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली वितरित की है। जुलाई माह में अधिकांश दिनों में बिजली की मांग ज्यादा रही, इसी कारण पंद्रह दिनों में दैनिक औसत खपत 1.14 करोड़ यूनिट ?ा ज?ादा रही। शेष दिनों में खपत 95 लाख यूनिट से 1.05 लाख यूनिट दर्ज हुई।

ओंकार में पंच परमेश्वर समाहित- डॉ. निलंजना श्रीजी

उज्जैन, (निप्र)। श्री वर्धमान शक्रस्तव यानि अरिहंत प्रभु की परमोच्च प्रभुता का परिचय पत्र,शकेन्द्र द्वारा अपने मीत जिनेंद्र को लिखा गया भाव भरा प्रेम पत्र,वीतराग के नाम ऐश्वर्य तथा गुण गांभीर्य का अनुपम संकलन पत्र,देवेंद्र की हृदय में अहोभाव से छलकता आस्था का अमृत कलश वर्धमान शक्रस्तव वह मंत्रगर्वित स्रोत है इसमें ग्यारह अलापक अधिकार है प्रत्येक अधिकार का प्रारंभ ॐ से होता है ओंकार में पंच परमेश्वर समाहित है।

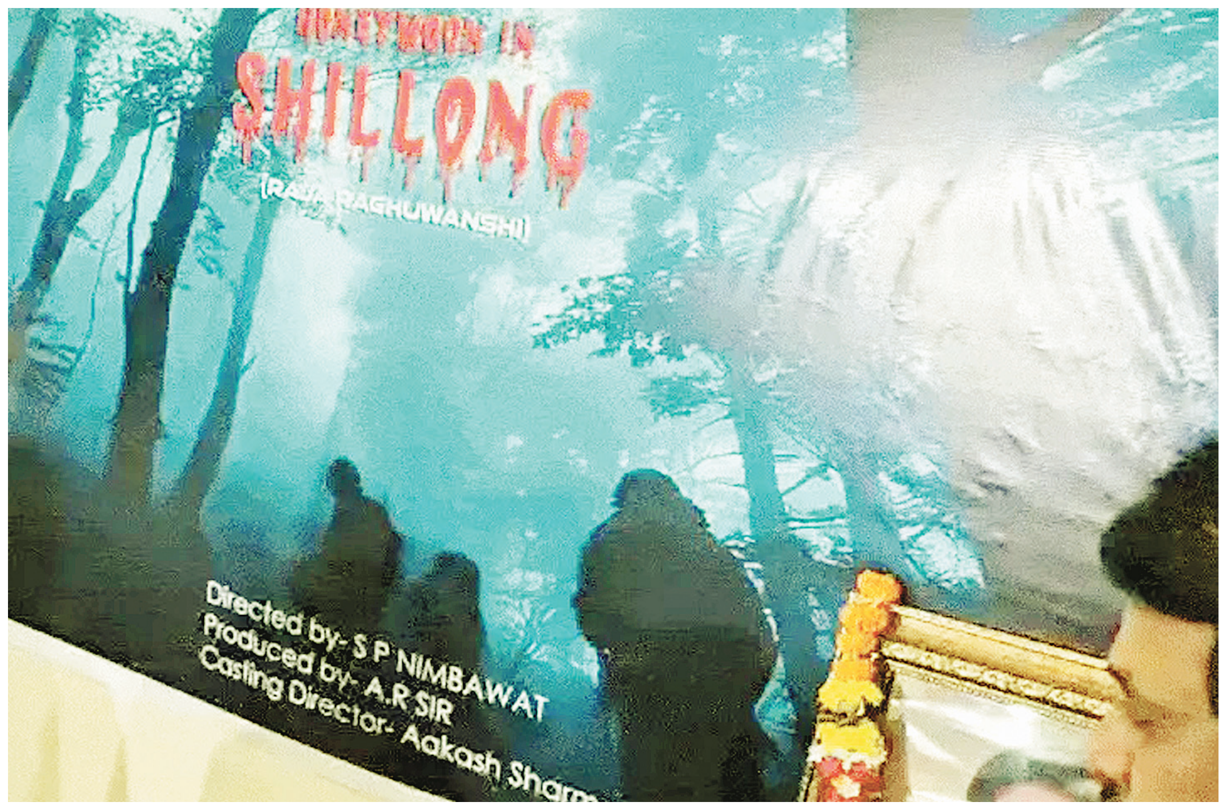

राजा रघुवंशी हत्याकांड पर फिल्म बनेगी

मुंबई से राजा के घर पहुंचे डायरेक्टर, हनीमून इन शिलॉन्ग होगा नाम

इंदौर,(नप्र)। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पर अब एक फिल्म बनने जा रही है। फिल्म को एस.पी. निंबावत डायरेक्ट करेंगे। मंगलवार दोपहर को निंबावत मुंबई से इंदौर पहुंचे और राजा के परिवार से मुलाकात की।

कई फिल्में बना चुके एस.पी. निंबावत ने बताया कि इस फिल्म का नाम हनीमून इन शिलॉन्ग रखा गया है। मीडिया ने इस केस को इतना हाइलाइट किया कि पूरा बॉलीवुड इस केस के बारे में जानता है।

मेरे अंधेरी (मुंबई) के ऑफिस में कई लोग हमसे मिलने भी आए। फिर हमने परिवार से संपर्क कर राइट्स के बारे में पूछा। परिवार ने किसी को राइट्स नहीं दिए थे। इस पर हमने परिवार से राइट्स लिए हैं। एस.पी. निंबावत इससे पहले कबड्डी और लौट आओ पापा समेत कई फिल्में बना चुके हैं।

फिल्म में राजा के बचपन से लेकर अबतक की कहानी- फिल्म डायरेक्टर एस.पी. निंबावत ने बताया कि मीडिया में लगातार आ रही खबरों से ही फिल्म बनाने का आइडिया आया। इसकी 80% शूटिंग इंदौर में और 20 फीसदी शूटिंग शिलॉन्ग में की जाएगी। फिल्म में राजा के बचपन से लेकर अबतक की पूरी कहानी बताएंगे।

निंबावत के मुताबिक परिवार के लोगों को पूरी कहानी सुनाई, तब जाकर उन्होंने हां की है। बिना परिवार की सहमति के हम फिल्म नहीं बना सकते हैं। हमने ही अप्रोच किया था परिवार से। रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है।

राजा के भाई ने कहा- हम चाहते हैं ये फिल्म बने- राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि हमने एसपी निंबावत को फिल्म बनाने की अनुमति दी है। इस केस के कारण मेघालय की बदनामी हुई है। हमारा मानना है कि फिल्म बनती है, तो इससे मेघालय के लिए अच्छा मैसेज जाएगा। डायरेक्टर से बात हो चुकी है। फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग फाइनल है। हम चाहते हैं कि राजा के साथ जो हुआ है, उस पर फिल्म बने।

ये था पूरा मामला- इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम के साथ शादी हुई थी। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय के लिए रवाना हुए थे। 22 मई को दोनों सोहरा की यात्रा पर निकले थे। उन्होंने एक एक्टिवा भी किराए पर ली थी। 24 जून को नव दंपती से परिवार का संपर्क टूट गया था। 27 मई से दोनों की सर्चिंग शुरू की गई। 29 मई को तेज बारिश के कारण सर्चिंग रोकना पड़ गई थी। इसके बाद 30 मई को दोबारा सर्चिंग शुरू की गई।

4 लाख रुपए से अधिक कीमत की अवैध मदिरा और वाहन जब्त

इंदौर। आबकारी विभाग इंदौर द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन और विक्रय के विरुद्ध दो महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ कर कुल 4 लाख रुपए से अधिक मूल्य की मदिरा और वाहन जप्त किए गए। पहली कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक आशीष जैन (वृत्त-आंतरिक क्षेत्र क्रमांक 01) के निर्देशन में एक ईऑन कार से कुल 36 बल्क लीटर (2पेटी विदेशी व्हिस्की व 2 पेटी देशी शराब) अवैध मदिरा बरामद की गई। आरोपी पंकज पिता जयसिंह परमार (निवासी देवास) के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। बरामद मदिरा एवं वाहन का अनुमानित मूल्य 3.30 लाख रुपए आंका गया है। दूसरी कार्रवाई वृत्त काछी मोहल्ला के उप निरीक्षक श्री भगवानदास अहरवार के नेतृत्व में कुलकर्णी नगर क्षेत्र में की गई, जहाँ एक दोपहिया वाहन से अवैध रूप से ले जाई जा रही 100 पाव देशी मसाला शराब पकड़ी गई। इस प्रकरण में अंकित पिता मिश्रीलाल (निवासी कुलकर्णी नगर) के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। कुल जप्ती का बाजार मूल्य लगभग 70,500 रुपए है।इन कार्यवाहियों मेंदेवेश चतुवेर्दी (जिला कंट्रोल रूम प्रभारी), मनोज अग्रवाल व जयसिंह ठाकुर (सहा. जिला आबकारी अधिकारी), उप निरीक्षक सुनील मालवीय, मुख्य आरक्षक बद्रीसिंह जमरा, सुश्री सीमा भूरिया, आरक्षक विपुल खरे, मुकेश रावत व वीरेंद्र पटेल सहित सम्मिलित टीम का सराहनीय योगदान रहा ।

जायन्ट्स चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित जायन्ट्स मुक बधिर अंध विद्यालय, रास्तिपुरा बुरहानपुर (म.प्र)

विशेष शिक्षको की आवश्यकता है।

(1) स्नातक (गणित) स्पेशल बी एड HI
(2) स्नातक (विज्ञान) HI
(3) स्नातक VI
(4) स्नातक संगीत स्पेशल डी एड VI

आवेदन संस्था के कार्यलय रास्तिपुरा बुरहानपुर स्थित जायन्ट्स मुक बधिर अंध विद्यालय में सुबह 9 बजे से दो बजे कार्यालयीन समय में जमा करावे

संपर्क मो 6265680480

अध्यक्ष
कैलाश अग्रवाल
जायन्ट्स चेरिटेबल ट्रस्ट बुरहानपुर

जाहिर सूचना

दिनांक 28/7/25

भूखण्ड क्रमांक C-277, विनायक विहार सेक्टर- C ग्राम दाउदखेडी, जिला उज्जैन के संबंध में ।

सर्व साधारण को सूचित हो कि हमारे पक्षकार ने सारांश डेवलपर द्वारा भागीदार श्री संजय बापना पिता श्री प्रेमचंदजी बापना निवासी 130 संत राम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन उक्त से उनकी रजिस्टर्ड रेरा क्रमाक RERA ID P- OIH-24-4877 के मालिकी एवं आधिपत्य का प्लॉट विनायक बिहार ग्राम दाउदखेडी तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के सेक्टर C में भूखण्ड क्रमांक C-277 जिसका क्षेत्रफल 65.05 वर्गमीटर अर्थात 20X35 कुल क्षेत्रफल 700 वर्गफीट है को सर्वभार मुक्त स्थिति में क्रय करने का सौदा किया होकर उस पैटे सारवान बयाना राशि भी हमारे पक्षकार ने उक्त को अदा कर दी है। सदर सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक वित्तीय निकाय का कोई ऋण, भार चार्ज आपत्ति या कोई न्यायालयीन विवाद हो तो इस सुचना-पत्र के प्रकाशन से 7 दिनों के अन्दर लेखी प्रमाण सहित मिले अन्यथा बाद मियाद के योग्य लिखा-पढ़ी करवा ली जावेगी व किसी भी प्रकार की आपत्ति हमारे पक्षकार एवं उपरोक्त सम्पत्ति के विक्रय पर बंधनकारक नहीं रहेगी ।

ऋषि हातोनिया (एडवोकेट)
123/6. समाजवाद नगर, इंदौर
Mo.9827004420

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई : न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

पहनने, सीट बेल्ट लगाने और अन्य यातायात नियमों के पालन की आदत को भी दें बढ़ावा

इंदौर,(नप्र)। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे ने कहा कि इंदौर को स्वच्छता के साथ ही सड़क सुरक्षा एवं यातायात सुधार के क्षेत्र में भी देश में अव्वल बनाया जाये। इंदौर में वह सभी क्षमताएं मौजूद हैं, जो यह कर दिखाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंदौर को सड़क सुरक्षा एवं यातायात सुधार के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिये जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी पूरी पूर्ण गंभीरता, लगन एवं समर्पण भाव से जुट जाए। समयबद्ध कार्ययोजना/रणनीति तैयार कर आगामी 6 माह में सकारात्मक बदलाव और परिणाम लाएं। इंदौर को सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिये सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा संबंधी समिति पूरा सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इंदौर को अव्वल बनाने के लिये सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ पालन कराना जरूरी है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मृत्यु की संख्या कम करने के लिये समन्वित प्रयास सुनिश्चित किये जाये। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि इंदौर में हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा दिया जाये। सीट बेल्ट लगाने के संबंध में जागरूकता लाई जाये। शराब पी कर वाहन चलाने वालों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। लोक परिवहन वाहनों को बढ़ावा दिया जाये, जिससे सड़कों पर चलने वाले छोटे वाहनों की संख्या में कमी लाई जा सकें। उन्होंने निर्देशित किया कि पुलिस विभाग सहित अन्य सभी शासकीय कर्मियों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना तत्काल रूप से अनिवार्य किया जाये। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों एवं कॉलेजों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं? के विद्यार्थियों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाये। उन्होंने मीडिया से सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के जागरूकता अभियान को तेजी लाने और प्रभावी बनाने में सहयोग का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में आज यहां जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर श्री मनोज श्रीवास्तव, नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा, स्मार्ट सिटी इंदौर के सीईओ श्री दिव्यांक सिंह,डीसीपी ट्राफिक श्री अरविंद तिवारी, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.पी. अहिरवार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में श्री सप्रे ने इंदौर जिले में विगत 5 वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं, ब्लेक स्पाट के चिन्हांकन एवं उनके सुधार कार्य, सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन तथा चालानी कार्रवाई के संबंध में किये जा रहे कार्यों और नवाचारों, जन जागरूकता अभियान आदि की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ संकल्पबद्ध होकर कार्य किये जाये। न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने सड़क दुर्घटना में इंदौर में विगत पाँच वर्षों में हुई मृत्यु की संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में कमी लाना हमारी मुख्य प्राथमिकता रहे। जिससे प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट पहने और यातायात के पालन नहीं करने वाले तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्यवाही की जाए। उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हांकन के पश्चात यथा शीघ्र सुधारात्मक उपायों, घायलों को त्वरित उपचार देने, यातायात नियम तोड़ने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी वाहनों के बीमा फिटनेस, इंश्योरेंस, वाहन चालकों के लायसेंस की जांच करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क सुरक्षा उपायों की जानकारी ली। उन्होंने सड़कों की तुरंत मरम्मत, सड़कों के निर्माण में समय सीमा और गुणवत्ता का ध्यान रखने आदि के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिये।

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास, अनुभाग-मल्हारगंज क्षेत्र इन्दौर, म०प्र०

(कोर्ट रूम नं० 29 प्रथम तल संयुक्त तहसील कार्यालय, सुपर कोरिडोर पर रेलवे ब्रिज के पास टिंगरिया बादशाह जिला इंदौर)

क्रमांक 726/लोक न्यास. / 2025
इन्दौर, दिनांक 29/07/2025

:: विज्ञप्ति ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक सेठ बख्तरामजी बच्छराज भण्डारी श्री प्राणनाथ संस्था, तर्फे अध्यक्ष एवं अधिकृत न्यासी श्रीमती सुशीला पति श्री बालकृष्ण भण्डारी तर्फे आममुख्यार दिनेश प्रसाद मिश्र पिता मिथिला प्रसाद मिश्रा कार्यालय पता 76, सीतलामाता बाजार, इंदौर द्वारा ट्रस्ट की सम्पत्ति 8 नजर अली मार्ग उज्जैन क्षेत्रफल 2114.62 वर्गफीट एवं 9 नजर अली मार्ग उज्जैन क्षेत्रफल 6811.59 वर्गफीट ओपन एरिया में से 4005.87 के वर्गफीट के लगभग भूमि विकय किये जाने हेतु आवेदन पत्र मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत विकय की अनुमति के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में किसी संस्था या व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 07/08/20245 को इस न्यायाल के समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधी के माध्यम से मय प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जाकर प्रकरण में आपके विरूद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किये जायेंगे। आज दिनांक 29/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

पंजीयक लोक न्यास,
अनुभाग-मल्हारगंज इन्दौर जिला इंदौर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील कनाड़िया जिला इन्दौर

क्रमांक 824/री.तह./25 इन्दौर, दिनांक 24/7/25

:: विज्ञप्ति::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री देवी मातोश्री सामाजिक सेवा संस्था जिला इंदौर म.प्र. द्वारा ग्राम बुरानाखेड़ी तहसील कनाड़िया में आवासीय योजना हेतु ग्राम बुरानाखेड़ी की भूमि खसरा नंबर 88/292/2, 88/292/3 88/292/4, 88/292/5, 88/292/1 रकबा क्रमशः 0.380, 0.380, 0.380, 0.380 0.380 हैक्टेयर भूमि को आवंटन किये जाने हेतु मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत भूमि आवंटन बाबद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवेदन के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस न्यायालय में 15 दिवस में स्वयं अथवा अपने किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी

नायब तहसीलदार तहसील कनाडिया, इन्दौर

डी.पी. आभूषण लिमिटेड

DP

CIN: L74999MP2017PLC043234
Regd. Office: 138, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.) - 457001, भारत
Corp. Office: 19, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.) - 457001, भारत
दूरभाष क्रमांक: +91 -7412 -490966, 408900, E-mail: cs@dpjewellers.com; Website: www.dpjewellers.com

30-06-2025 को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम

आंकड़े लाख में
(प्रति अंश आय को छोड़कर)

विवरण	मानक वित्तीय परिणाम		
	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
	30-06-2025 अनअंकेक्षित	30-06-2024 अनअंकेक्षित	31-03-2025 अंकेक्षित
व्यापार से कुल आय	54131.93	50472.44	331234.54
शुद्ध लाभ (कर और असाधारण वस्तुओं से पहले)	4859.31	3365.03	15097.65
शुद्ध लाभ (कर से पहले और असाधारण वस्तुओं के बाद)	4859.31	3365.03	15097.65
शुद्ध लाभ (कर और असाधारण वस्तुओं के बाद)	3642.36	2507.69	11269.55
कुल व्यापक आय (कर एवं अन्य व्यापक आय के बाद)	3636.75	2506.15	11247.13
सामान्य अंश पूंजी (प्रति अंश रुपया 10/-)	2266.04	2225.49	2266.04
संचय (पिछले वर्ष की अंकेक्षित तलपट के अनुसार पुनर्मूल्यांकित संचय को छोड़कर)	-	-	38147.46
प्रति अंश आय (जारी और बंद किए गए व्यापार के लिए)			
मूल: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किए)	16.07	11.27	50.04
मिश्रित: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किए)	16.05	11.27	49.98

टिप्पणियाँ:
उपरोक्त वित्तीय परिणाम सेबी (सूचि निर्धारण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बी.एस.ई. लिमिटेड के साथ दायर वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक भाग है। 30-06-2025 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणाम NSE की वेबसाइट www.nseindia.com, BSE की वेबसाइट www.bseindis.com और कंपनी की वेबसाइट www.dpjewellers.com पर उपलब्ध हैं।

डी. पी. आभूषण लिमिटेड
-एस डी -
संतोष कटारिया, प्रबंध निर्देशक
DIN - 02855068

दिनांक: 29 जुलाई, 2025
स्थान: रतलाम

विस्तृत वित्तीय विवरण के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें

विधानसभा में खंडवा विधायक छाया मोरे ने रखी मांग

खंडवा को जबलपुर के बजाय इंदौर हाई कोर्ट बेंच से जोड़ा जाए

प्रश्न काल के दौरान गुड़ी उपमंडी, गौशालाओं में सोलर प्लांट और छैगांव माखन को नगर पंचायत बनाने की भी रखी मांग

खंडवा, (निप्र)। पंधाना विधानसभा की विधायक छाया मोरे निरंतर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं, उसी कड़ी में विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायक छाया गोविन्द मोरे ने एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।

समाजसेवी वह प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि विधायक श्रीमती मोरै ने किसान, पशुपालक, नगरीय विकास तथा न्याय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर तारांकित प्रश्नों के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा और जनहित में ठोस कार्रवाई की अपेक्षा जताई। पूछे गए प्रश्न क्रमांक 627 में छाया मोरे ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री से जानना चाहा कि क्या पंधाना विधानसभा अंतर्गत गुड़ी कृषि उपमंडी में प्लेटफार्म, लिंक सीसी रोड, पेयजल व्यवस्था, तोलकांटा तथा कृषक विश्रामगृह जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है? उन्होंने यह भी पूछा कि यदि ऐसा है तो इन सुविधाओं की पूर्ति कब तक की जाएगी। ? इसके बाद छाया मोरे ने प्रश्न क्रमांक 1397 के माध्यम से पशुपालन एवं

डेयरी विभाग से यह जानकारी मांगी कि क्या मध्य प्रदेश में गौशालाओं में रोशनी के लिए सोलर प्लांट लगाने की कोई योजना है? साथ ही उन्होंने पंधाना विधानसभा की 7 सुचारु रूप से कार्यरत गौशालाओं झ माँ भगवती देवी गौशाला समिति ग्राम सिरसौद, नवीन सुरभि गौशाला ग्राम देशगाँव, माँ गंगा गौशाला ग्राम धनगाँव, श्रीचंद गौशाला ग्राम निहालवाड़ी, नर्मदा गौशाला ग्राम पछाया, श्रीकृष्ण गौपाल गौशाला ग्राम घाटाखेड़ी और श्रीसंत सिंगाजी गौशाला पीपलोद खास झ में सोलर प्लांट लगाने की कार्ययोजना के बारे में पूछा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि योजना है, तो इन प्लांटों की स्थापना कब तक होगी?

प्रश्न क्रमांक 1398 में विधायक छाया मोरे ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग से यह सवाल उठाया कि पंधाना विधानसभा अंतर्गत इंदौरझइच्छापुर हाईवे पर स्थित ग्राम पंचायत छैगांव माखन को बढ़ती जनसंख्या और विकास की आवश्यकता को देखते हुए नगर पंचायत में कब तक परिवर्तित किया जाएगा? साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी मांगी कि मध्य प्रदेश में किसी क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित करने के लिए क्या तय नीति और नियम हैं? समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि? चल रही विधानसभा के अंतर्गत विधायक छाया मोरै ने प्रश्न क्रमांक 628 में उन्होंने विधि एवं विधायी कार्य विभाग से वर्षों से चर्चित एक गंभीर और लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में खंडवा जिला न्यायालय जबलपुर हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, जिसकी दूरी खंडवा से 477 किलोमीटर है, जबकि इंदौर खंडपीठ की दूरी मात्र 130 किलोमीटर है। इस वजह से पक्षकारों को कानूनी प्रक्रिया में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पूछा कि क्या खंडवा जिला न्यायालय को इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ से जोड़ने की कोई कार्ययोजना है? यदि हाँ, तो यह प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी?? इस मांग पर सदन में संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी समर्थन किया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस बात का समर्थन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधायक छाया मोरे की बात को गंभीरता से लेते हुए उचित निर्णय का आश्वासन दिया। ?विधानसभा में पूछे गए इन प्रश्नों से स्पष्ट है कि विधायक छाया मोरे अपने विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों, किसानों और पशुपालकों की समस्याओं, नगरीय विकास और न्याय व्यवस्था की सुविधा बढ़ाने के मुद्दों को लेकर गंभीर हैं और इन पर ठोस कार्यवाही की अपेक्षा सरकार से कर रही हैं।

विधायक पटेल ने पेवर ब्लॉक और टीन शेड निर्माण का किया भूमिपूजन

मूंदी, (निप्र)। आज नागपंचमी के पावन अवसर पर मांधाता विधायक नारायण पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती ज्योतिबाला चंद्रमोहन राठौर नगर के श्याम सिंह बाबा मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन पूजन कर विधायक नारायण पटेल के द्वारा पेवर ब्लॉक टीन शेड का भूमि पूजन किया गया।नारियल और आवले के पौधे का रोपण किया गया। आने वाले समय में पेवर ब्लॉक टीन शेड निर्माण होने से कीचड़ से मुक्ति मिलेगी।इस अवसर पर उपाध्यक्ष श्री राजनारायण मंडलोई,पार्षद श्रीमती जागृति दिनेश मालवीय, पार्षद एवं मंडल महामंत्री धर्मेंद्र राठौर, सांसद प्रतिनिधि चंद्रमोहन राठौर,पार्षद प्रतिनिधि दिनेश चौधरी, दिनेश मालवीय, राजेंद्र डोडे,पंडित सुरेंद्र कोठारी, पंकज डोंगरे, शैलेन्द्र महोदय,महंत विजेंद्र राव(गुड्डू भैय्या) महेंद्र दसौंधी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय जैन,नगर परिषद के कर्मचारी सहित नागरिक गण उपस्थित रहे।

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील कनाड़िया जिला इन्दौर

क्रमांक 824/री.तह./25 इन्दौर, दिनांक 24/7/25

:: विज्ञप्ति::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री देवी मातोश्री सामाजिक सेवा संस्था जिला इंदौर म.प्र. द्वारा ग्राम बुरानाखेड़ी तहसील कनाड़िया में आवासीय योजना हेतु ग्राम बुरानाखेड़ी की भूमि खसरा नंबर 88/292/2, 88/292/3 88/292/4, 88/292/5, 88/292/1 रकबा क्रमशः 0.380, 0.380, 0.380, 0.380 0.380 हैक्टेयर भूमि को आवंटन किये जाने हेतु मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत भूमि आवंटन बाबद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवेदन के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस न्यायालय में 15 दिवस में स्वयं अथवा अपने किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी

नायब तहसीलदार तहसील कनाडिया, इन्दौर

कलेक्टर जैन ने जनसुनवाई में सुनी नागरिकों की समस्याएं

हरदा, (निप्र)। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाइ कार्यक्रम में आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और उपस्थित अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए।

इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती सविता झानिया, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय एवं श्री संजीव नागू के साथ-साथ एसडीएम हरदा अशोक डहेरिया, डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिवांगी बघेल सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी भी मौजूद थे। जनसुनवाई में ग्राम भुन्नास निवासी जसवंत गौर ने कलेक्टर जैन को अतिथि शिक्षक के पद पर री-ज्वाईनिंग कराने के लिये आवेदन दिया, जिस पर उन्होने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदक की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये। ग्राम बारजा निवासी शैलेन्द्र राजपूत ने जनसुनवाई में नक्शा दुरूस्तीकरण कराने के लिये आवेदन दिया, जिस पर उन्होने एसडीएम टिमरनी को आवेदक की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये।

नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान का आयोजन

हरदा, (निप्र)। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षित उप निरीक्षक श्रीमती रजनी गुर्जर ने की। श्रीमती गुर्जर ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए कहा कि नशा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और सामाजिक जीवन को भी बर्बाद करता है। छात्र जीवन का उद्देश्य केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता लाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना होना चाहिए।कार्यक्रम के अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला की प्राचार्य श्रीमती मंजूलता खरे, ब्लॉक समन्वयक स्त्रोत श्री

नारायण नायरे, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के लेखापाल मनीष शर्मा, मोनिका मेहता, समन्वयक हिना अली, संदीप जाट, लक्ष्मीनारायण केवट, शिक्षिका सविता गावंडे, रूबी अग्रवाल सहित समस्त खेल प्रशिक्षक उपस्थित रहे।

आर्थिक रुप से कमजोर आय वर्ग (ई.डब्लू.एस.) एवं निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) श्रेणी में भूखण्डों के विक्रय/आवंटन के संबंध में सूचना
वसंत कुंज, ग्राम-राहूखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर भूखण्ड की योजना

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कॉलोनियों का विकास नियम 2014 के अंतर्गत हमारे द्वारा **ग्राम राहूखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर** के खसरा नंबर 101/1 रकबा 1.315 हैक्टेयर में से 1.191 हैक्टेयर भूमि पर विकसित आवासीय कॉलोनी **'वसंत कुंज'** नाम दिया गया है, नगर तथा ग्राम निवेश से मानचित्र स्वीकृत करवाया गया है तथा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला इन्दौर द्वारा उक्त भूमि का व्यपवर्तन कराकर कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर के द्वारा 179/बी-121/2023-24 दिनांक 21.07.2023 द्वारा विकास अनुमति प्राप्त कर उक्त भूमि पर आवासीय कॉलोनी **वसंत कुंज** का निर्माण किया गया है।

योग्यता मापदण्ड: 1. आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल निवासी पत्र 2. आवेदक को आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग की पात्रता हेतु आय वर्ग का होना आवश्यक है सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आय का प्रमाण पत्र 3. आवेदक अथवा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से म.प्र. राज्य में कोई आवास/भूखण्ड न हो शपथ पत्र/घोषणा पत्र 4. कोई भी आवेदन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर का होगा। उक्त सभी दस्तावेज की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है 5. भूखण्ड का आवंटन लाटरी सिस्टम से किया जावेगा जिसमें अंतिम निर्णय प्रबंधक का मान्य होगा।

वसंत इन्फ्रा, मार्केटिंग ऑफिस: ग्राम राहूखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर, मो. 96447 11777

जायन्ट्स चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित जायन्ट्स मुक बधिर अंध विद्यालय, रास्तिपुरा बुरहानपुर (म.प्र)

विशेष शिक्षको की आवश्यकता है।

(1) स्नातक (गणित) स्पेशल बी एड HI
(2) स्नातक (विज्ञान) HI
(3) स्नातक VI
(4) स्नातक संगीत स्पेशल डी एड VI

आवेदन संस्था के कार्यलय रास्तिपुरा बुरहानपुर स्थित जायन्ट्स मुक बधिर अंध विद्यालय में सुबह 9 बजे से दो बजे कार्यालयीन समय में जमा करावे

संपर्क मो 6265680480

अध्यक्ष
कैलाश अग्रवाल
जायन्ट्स चेरिटेबल ट्रस्ट बुरहानपुर

जाहिर सूचना

दिनांक 28/7/25

भूखण्ड क्रमांक C-277, विनायक विहार सेक्टर- C ग्राम दाउदखेडी, जिला उज्जैन के संबंध में ।

सर्व साधारण को सूचित हो कि हमारे पक्षकार ने सारांश डेवलपर द्वारा भागीदार श्री संजय बापना पिता श्री प्रेमचंदजी बापना निवासी 130 संत राम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन उक्त से उनकी रजिस्टर्ड रेरा क्रमाक RERA ID P- OIH-24-4877 के मालिकी एवं आधिपत्य का प्लॉट विनायक बिहार ग्राम दाउदखेडी तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के सेक्टर C में भूखण्ड क्रमांक C-277 जिसका क्षेत्रफल 65.05 वर्गमीटर अर्थात 20X35 कुल क्षेत्रफल 700 वर्गफीट है को सर्वभार मुक्त स्थिति में क्रय करने का सौदा किया होकर उस पैटे सारवान बयाना राशि भी हमारे पक्षकार ने उक्त को अदा कर दी है। सदर सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक वित्तीय निकाय का कोई ऋण, भार चार्ज आपत्ति या कोई न्यायालयीन विवाद हो तो इस सुचना-पत्र के प्रकाशन से 7 दिनों के अन्दर लेखी प्रमाण सहित मिले अन्यथा बाद मियाद के योग्य लिखा-पढ़ी करवा ली जावेगी व किसी भी प्रकार की आपत्ति हमारे पक्षकार एवं उपरोक्त सम्पत्ति के विक्रय पर बंधनकारक नहीं रहेगी ।

ऋषि हातोनिया (एडवोकेट)
123/6. समाजवाद नगर, इंदौर
M o.9827004420

भीलटदेव गादी पर उत्साह से मनाया नागपंचमी का त्योहार

खंडवा, (निप्र)। भीलट देव गादी समिति पर नाग पंचमी का त्योहार बहुत धूम धाम से मनाया खंडवा के संजय नगर दादाजी वार्ड मोहन कटारे (कालू बाबा) के यहा नांगल वाड़ी के भीलट बाबा की गादी पर श्रद्धालुओं ने पूजन किया।

पुजारी मोहन कटारे कालू बाबा ने बताया आज नाग पंचमी के दिन नाग देवता का अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया और नागपंचमी का त्योहार मनाया और सभी भक्तों ने बाबा का आशीर्वाद लिया और इसके बाद महा प्रसादी का वितरण हुआ देवी लाल कटारे , प्रवेश नरेडी , प्रतिक नरेडी, राहुल राठौर, रवि बावने,

दीपु , कन्हैया कटारे, कमलेश गुप्ता, शर्मा जी, दिलीप नरेडी, सचित राठी प्रणय बजाज, राकेश जगताप, सतीश जगताप, लोकेश बजाज, राकेश कटारे, कपिल वर्मा, आलोक भाई, शंकर पंसारे, शांतिलाल के सानिया, सचिन राजपूत, मुकेश कटारे, सेवादास पटेल, आशीष चटकले , सचिन जगताप जतिन मंडलोई ,गणपति आदि सभी श्रद्धालु उपस्थित रहे

कलेक्टर के मार्गदर्शन में खण्डवा गौरव दिवस के कार्यक्रमों की तैयारी बैठक आयोजित

खंडवा, (निप्र)। कलेक्टर ऋषव गुप्ता के नेतृत्व में खण्डवा गौरव दिवस पर होने वाले आयोजन की तैयारी बैठक कलेक्टर कक्ष में सम्पन्न हुई।जानकारी देते हुए मंच के प्रवक्ता सुनील जैन व सचिव नारायण बाहेती ने बताया कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुनील बंसल ,पूर्व अध्यक्ष गुरमीत सिंह उबेजा, उपाध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रवाल ,आलोक सेठी व मनीष अग्रवाल ने चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किये जाने वाले आयोजन व किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के अध्यक्ष रणवीरसिंघ चावला, सचिव नारायण बाहेती, सुनील जैन व सदस्यों ने मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी दी।

विधायक कंचन तंवे ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

बायपास रोड और औद्योगिक क्षेत्र की स्वीकृति के लिए दिया धन्यवाद

खंडवा, (निप्र)। सोमवार से भोपाल में विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हुआ। खंडवा विधायक श्रीमती कंचन मुकेश तनवे ने विधानसभा सत्र के मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन

में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री जी के साथ क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं अन्य सामयिक विषयों पर विस्तृत परिचर्चा की। समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि विधान सभा मानसून सत्र के पहले दिन विधायक कंचन तनवे ने भेंट के दौरान खंडवा को दी गई सौगातें, बायपास रोड़ की स्वीकृति, सुरगांव नीपानी औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु 36 करोड़ राशि की स्वीकृति पर खंडवा की जनता की तरफ से आभार व्यक्त किया, एवं खंडवा की सुरक्षा हेतु बटालियन की स्थापना,एयरपोर्ट की स्थापना, युवाओं के लिए श्री नीलकंठेश्वर प्रधानमंत्री आदर्श कॉलेज खंडवा में विधि संकाय, पॉलिटेक्निक, कक्षमें सोलर टेक्नीशियन कोर्स प्रारंभ किए जाने संबंधी अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया जिस पर मुख्यमंत्रीजी द्वारा सकारात्मक जवाब देते हुए खंडवा के निरंतर विकास की बात कही।

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास, अनुभाग-मल्हारगंज क्षेत्र इन्दौर, म०प्र०

(कोर्ट रूम नं० 29 प्रथम तल संयुक्त तहसील कार्यालय, सुपर कोरिडोर पर रेलवे ब्रिज के पास टिंगरिया बादशाह जिला इंदौर)

क्रमांक 726/लोक न्यास. / 2025
इन्दौर, दिनांक 29/07/2025

:: विज्ञप्ति ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक सेठ बख्तरामजी बच्छाराज भण्डारी श्री प्राणनाथ संस्था, तर्फे अध्यक्ष एवं अधिकृत न्यासी श्रीमती सुशीला पति श्री बालकृष्ण भण्डारी तर्फे आममुख्यार दिनेश प्रसाद मिश्र पिता मिथिला प्रसाद मिश्रा कार्यालय पता 76, सीतलामाता बाजार, इंदौर द्वारा ट्रस्ट की सम्पत्ति 8 नजर अली मार्ग उज्जैन क्षेत्रफल 2114.62 वर्गफीट एवं 9 नजर अली मार्ग उज्जैन क्षेत्रफल 6811.59 वर्गफीट ओपन एरिया में से 4005.87 के वर्गफीट के लगभग भूमि विकय किये जाने हेतु आवेदन पत्र मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत विकय की अनुमति के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में किसी संस्था या व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 07/08/20245 को इस न्यायाल के समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधी के माध्यम से मय प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जाकर प्रकरण में आपके विरूद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किये जायेंगे। आज दिनांक 29/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

पंजीयक लोक न्यास,
अनुभाग-मल्हारगंज इन्दौर जिला इंदौर

डी.पी. आभूषण लिमिटेड

CIN: L74999MP2017PLC043234
Regd. Office: 138, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.) - 457001, भारत
Corp. Office: 19, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.) - 457001, भारत
दूरभाष क्रमांक: +91 -7412 -490966, 408900, E-mail: cs@dpjewellers.com; Website: www.dpjewellers.com

30-06-2025 को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम

आंकड़े लाख में (प्रति अंश आय को छोड़कर)

विवरण	मानक वित्तीय परिणाम		
	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
	30-06-2025 अनअंकेक्षित	30-06-2024 अनअंकेक्षित	31-03-2025 अंकेक्षित
व्यापार से कुल आय	54131.93	50472.44	331234.54
शुद्ध लाभ (कर और असाधारण वस्तुओं से पहले)	4859.31	3365.03	15097.65
शुद्ध लाभ (कर से पहले और असाधारण वस्तुओं के बाद)	4859.31	3365.03	15097.65
शुद्ध लाभ (कर और असाधारण वस्तुओं के बाद)	3642.36	2507.69	11269.55
कुल व्यापक आय (कर एवं अन्य व्यापक आय के बाद)	3636.75	2506.15	11247.13
सामान्य अंश पूंजी (प्रति अंश रुपया 10/-)	2266.04	2225.49	2266.04
संचय (पिछले वर्ष की अंकेक्षित तलपट के अनुसार पुनर्मूल्यांकित संचय को छोड़कर)	-	-	38147.46
प्रति अंश आय (जारी और बंद किए गए व्यापार के लिए)			
मूल: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किए)	16.07	11.27	50.04
मिश्रित: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किए)	16.05	11.27	49.98

टिप्पणियाँ:
उपरोक्त वित्तीय परिणाम सेबी (सूचि निर्धारण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बी.एस.ई. लिमिटेड के साथ दायर वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक भाग है। 30-06-2025 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणाम NSE की वेबसाइट www.nseindia.com, BSE की वेबसाइट www.bseindis.com और कंपनी की वेबसाइट www.dpjewellers.com पर उपलब्ध हैं।

डी. पी. आभूषण लिमिटेड
-एस डी -
संतोष कटारिया, प्रबंध निर्देशक
DIN - 02855068

दिनांक: 29 जुलाई, 2025
स्थान: रतलाम

विस्तृत वित्तीय विवरण के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें

प्रभारी मंत्री श्री टेटवाल भगवान श्री नागचन्द्रेश्वर का पूजन करते हुए।

बारिश के दौरान श्रद्धालुजन बेरिकेट्स में जयश्री महाकाल का उद्घोष करते हुए।

क्रिकेटर उमेश यादव बाबा महाकाल का दर्शन करते हुए।

जय श्री महाकालः जय श्री नागचंद्रेश्वर

आस्था का आंकड़ा 7 लाख पार, बारिश में श्रद्धालुजन 2 किमी लम्बी कतार में लगे

उज्जैन, (निप्र)। साल में एक बार नागपंचमी पर्व पर खुलने वाले श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर स्थित भगवान श्री नागचंद्रेश्वर भगवान के पट सोमवार रात 12 बजे खुले। मंगलवार को दोपहर तक करीब 3 लाख से अधिक भक्तगण दर्शन कर चुके थे। बरसते पानी में भी दर्शनार्थियों की कतार कर्कराज पार्किंग तक पहुंच गई थी। इसके पूर्व रात 12 बजे महानिवार्णी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने विधि विधान से श्री नागचंद्रेश्वर प्रतिमा की त्रिकाल पूजन और शिवलिंग का अभिषेक किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, लोस्वायां मंत्री संपतिया उइके, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा उपस्थित थे। पूजन के बाद आम लोगों के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। दोपहर में शासकीय पूजन में संभागायुक्त उपस्थित थे।

नागपंचमी पर्व पर साल में एक बार खुलने वाले मंदिर को लेकर भक्तों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। उज्जैन के साथ ही आसपास के शहर और अन्य प्रदेशों से भी लोग दर्शन के लिए आए थे। भक्तों को दर्शन करने में 4 घंटे से ज्यादा का समय गया। श्री नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन के लिए बरसते पानी में श्रद्धालुजन कतारबद्ध लाईन में लगे रहे। श्रद्धालुओं को चारधाम मंदिर के सामने बेरिकेटिंग से हरसिद्धि होते हुए बड़ा गणेश के आगे गेट नंबर 4 से प्रवेश दिया गया। यहां 2 कि.मी.लंबी लाइन लगी रही। इसके बाद एयरो ब्रिज होते हुए भक्तगण श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर पहुंचे। दर्शन के बाद ब्रिज के रास्ते वापस विश्रामधाम और नीचे मार्बल गलियारे से होकर यातायात प्रीपेड बूथ के पास बाहर निकालने की व्यवस्था की गई थी। जहां से दर्शनार्थियों को सीधे हरसिद्धि चोराहे की ओर प्रस्थान कराया जा रहा था।

श्री महाकालेश्वर मंदिर में भारी भीड़- नागपंचमी पर भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के साथ ही भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए भी दर्शनार्थियों की कतार लगी रही। भूतभावन भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों को महाकाल लोक के नंदी द्वार से प्रवेश कराया गया। जहां से वे महाकाल लोक होते हुए मानसरोवर भवन से टनल के रास्ते मंदिर के कार्तिकेय मंडपम और गणेश मण्डपम तक पहुंच कर भगवान महाकाल के दर्शनों का लाभ ले रहे थे। मंगलवार सुबह श्री महाकाल मंदिर में भी करीब आधा किमी लंबी कतार महाकाल महालोक में देखी गई। इसके पूर्व प्रातः 3 बजे मंदिर के पट खोलने के बाद भस्मारती हुई,जिसमें भगवान महाकाल को श्री नाग देवता के रूप में श्रृंगारित किया गया था। सुबह क्रिकेटर उमेश यादव भी भस्मारती में दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसके बाद भगवान महाकाल के दर्शन प्रारंभ हुए। सुबह से ही दर्शन के लिए काफी संख्या में दर्शनार्थी मंदिर मौजूद थे।

दर्शन की झलकियां

- बेरिकेड्स करीब 8 फीट चोड़ा होने के बाद भी दर्शनार्थियों से खचाखच भरा था। बरसते पानी में कुछ लोगों ने तो कतार की धक्का मुक्की का भी आनंद लिया,तो कुछ लोगों के लिए यह कतार मुसीबत बन कर रही गई।
- नागपंचमी की सुरक्षा व्यवस्था 1900 पुलिस जवानों ने संभाली। प्रशासन ने भीड़ को संभालने और सुरक्षा के लिए 200 वरिष्ठ अधिकारी भी तैनात किए थे। प्रशासन के 2500 कर्मचारी और 560 सीसीटीवी कैमरे भी महाकाल मंदिर क्षेत्र में नजर रख रहे थे। इनमें 10 ड्रोन कैमरे भी शामिल हैं।
- रात 12 पूजन के बाद श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के द्वार का रजत जड़ित हरे रंग का पर्दा विनीत गिरी महाराज ने हटाया। पूजा के दैरान एक भगवाधारी महाराज ने प्रवेश करने का प्रयास किया,उसे बाहर कर दिया गया।
- श्री नागचंद्रेश्वर भगवान0 के दर्शन 4 घंटे कतार में लगने के बाद भक्तों को हुए। भीड़ इतनी है कि श्रद्धालु एक झलक ही भगवान की देख सके।
- कई लोग मोबाइल लेकर दर्शन करने पहुंचे। लेकिन उन्हें सेल्फी का मौका ही नहीं मिला।
- श्री महाकालेश्वर मंदिर में डयूटी पर तैनात जावरा की 24 बटालियन का सैनिक दुर्गा पिता मोहनलाल आयु 40 वर्ष मंगलवार को प्रातःकाल 4 बजे उसे अचानक चक्कर आने के कारण गिर गया। सैनिक को तत्काल एम्बुलेंस से चरक अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया।
- नगर निगम के सफाई मित्र श्री महाकालेश्वर मंदिर परिक्षेत्र में निरंतर सफाई करते रहे।

लगी सावन की झड़ी, 24 घंटे से कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश

शहर में दिन भर हुई रिमझिम बारिश।

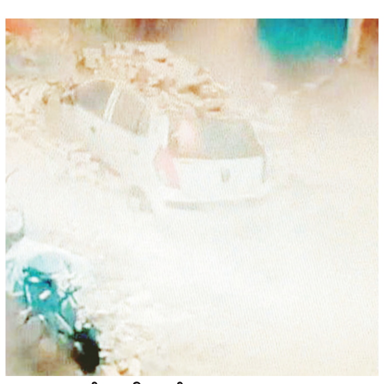
कार व स्कूटी पर गिरा दीवार का मलबा।

उज्जैन, (निप्र)। मानसून के इस सीजन में पहली बार झड़ी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर तो कभी तेज व हल्की बारिश हो रही हैं। इससे मौसम में ठंडक घुल गई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉ.आर.पी.गुप्ता ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से एक मजबूत मानसूनी सिस्टम सक्रिय हुआ है,जिसके चलते शहर में बारिश हो रही है। आने वाले 24 घंटों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम में बदलाव का सिलसिला सोमवार से ही शुरू हो गया था। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बारिश होती रही। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक रिमझिम बारिश के बाद एक बार फिर तेज बारिश हुई,जिससे शहर की कई सड़कों पर पानी बह निकला। डॉ.गुप्ता के अनुसार मंगलवार सुबह तक उज्जैन में कुल 380.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जब तक सिस्टम सक्रिय रहेगा,बारिश का दौरा सतत जारी रहेगा। लगातार बारिश से जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली है,वहीं दूसरी ओर शहर के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन रही है। प्रशासन की ओर से जरूरी सतर्कता बरती जा रही है।

नगर निगम कांजी हाऊस की दीवार गिरी- शहर में 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जीवाजीगंज थाना क्षेत्र लालबाई फूलबाई मार्ग पर नगर निगम के बंद पड़े कांजी हाउस की दिवार गिर गई। इस घटना के संबंध में नमन सिंह भदौरिया ने बताया कि कांजी हाउस की दीवार गिरने से एक कार व स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। यह पूरी घटना समीप लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दीवार गिरने के दौरान वहॉ पर कोई नहीं था अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी।

खेल कौशल,अनुशासन और समर्पण से खिलाड़ी लहराते हैं सफलता का तिरंगा -संभागायुक्त

जी.एच. रायसोनी मेमोरियल मप्र जूनियर स्टेट बैडमिंटन चेम्पियनशिप का शुभारंभ

उज्जैन, (निप्र)। खिलाड़ी खेल कौशल, अनुशासन, समर्पण और लक्ष्य के प्रति संधान के साथ प्रशिक्षकों के उचित मार्गदर्शन में सफलता के शिखर तक पहुँचते हैं और तिरंगा लहराते हैं। खिलाड़ी देश के आन-बान-शान ही नहीं,ऊर्जा के प्रतीक भी होते हैं।

उक्त उद्गार संभागायुक्त संजय गुप्ता ने जी.एच.रायसोनी मेमोरियल 58वीं म.प्र.जूनियर स्टेट बैडमिंटन चेम्पियनशिप शुभारंभ अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिक निगम आयुक्त आशीष पाठक ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मीना राजेश वाइस

चांसलर,जीएच रायसोनी मेमोरियल ट्रस्ट इंदौर,सुनील चोगुले सचिव,म.प्र.बैडमिंटन एसोसिएशन और लायंस क्लब गवर्नर प्रवीण वशिष्ठ उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव यादव ने स्वागत भाषण में कहा कि आगामी वर्षों में उज्जैन न केवल प्रदेश,बल्कि देश के बैडमिंटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान बनाएगा। इस अवसर पर 8 वर्षीय नवोदित बैडमिंटन खिलाड़ी विहान पाटीदार का विशेष अभिनंदन एवं रेफरी बृजेश गौड़ एवं टूनार्मेंट कंट्रोलर शिशिर खरे का भी सम्मान किया गया।

जायन्ट्स चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित जायन्ट्स मुक बधिर अंध विद्यालय, रास्तिपुरा बुरहानपुर (म.प्र)

विशेष शिक्षको की आवश्यकता है।

(1) स्नातक (गणित) स्पेशल बी एड HI
(2) स्नातक (विज्ञान) HI
(3) स्नातक VI
(4) स्नातक संगीत स्पेशल डी एड VI

आवेदन संस्था के कार्यलय रास्तिपुरा बुरहानपुर स्थित जायन्ट्स मुक बधिर अंध विद्यालय में सुबह 9 बजे से दो बजे कार्यालयीन समय में जमा करावे

संपर्क मो 6265680480

अध्यक्ष
कैलाश अग्रवाल
जायन्ट्स चेरिटेबल ट्रस्ट बुरहानपुर

जाहिर सूचना

दिनांक 28/7/25

भूखण्ड क्रमांक C-277, विनायक विहार सेक्टर- C ग्राम दाउदखेडी, जिला उज्जैन के संबंध में ।

सर्व साधारण को सूचित हो कि हमारे पक्षकार ने सारांश डेवलपर द्वारा भागीदार श्री संजय बापना पिता श्री प्रेमचंदजी बापना निवासी 130 संत राम सिंधी कॉलोनी, उज्जैन उक्त से उनकी रजिस्टर्ड रेरा क्रमाक RERA ID P- OIH-24-4877 के मालिकी एवं आधिपत्य का प्लॉट विनायक बिहार ग्राम दाउदखेडी तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के सेक्टर C में भूखण्ड क्रमांक C-277 जिसका क्षेत्रफल 65.05 वर्गमीटर अर्थात 20X35 कुल क्षेत्रफल 700 वर्गफीट है को सर्वभार मुक्त स्थिति में क्रय करने का सौदा किया होकर उस पैटे सारवान बयाना राशि भी हमारे पक्षकार ने उक्त को अदा कर दी है। सदर सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक वित्तीय निकाय का कोई ऋण, भार चार्ज आपत्ति या कोई न्यायालयीन विवाद हो तो इस सुचना-पत्र के प्रकाशन से 7 दिनों के अन्दर लेखी प्रमाण सहित मिले अन्यथा बाद मियाद के योग्य लिखा-पढ़ी करवा ली जावेगी व किसी भी प्रकार की आपत्ति हमारे पक्षकार एवं उपरोक्त सम्पत्ति के विक्रय पर बंधनकारक नहीं रहेगी ।

ऋषि हातोनिया (एडवोकेट)
123/6. समाजवाद नगर, इंदौर
Mo.9827004420

मोबाइल ट्रेस कर हत्यारे तक पहुंची पुलिस

उज्जैन, (निप्र)। नरवर थाना क्षेत्र के ग्राम देवराखेड़ी में रहने वाले 60 वर्षीय वृद्ध की हत्या के आरोपी को पुलिस ने यूपी के महोबा से हिरासत में लिया है। नशे में उसका विवाद बारिश से बचने के लिए दुकान पर खड़े वृद्ध से हुआ था जिसके बाद उसने गुस्से में आकर वृद्ध की पत्थर से सिर कुचल कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम साहिल मोहम्मद है और वह यूपी के महोबा का रहने वाला है। हत्या करने के बाद वह वृद्ध की जेब में रखे 600 रुपए और मोबाइल लेकर पहले देवास,फिर भोपाल होता हुआ महोबा चला गया था। इस दौरान आरोपी मोबाइल का उपयोग करता रहा जिसे ट्रेस कर उसे धरदबोचा। पुलिस ने बताया कि मृतक श्रवण पिता जगन्नाथ चोधरी निवासी देवराखेड़ी 22 जुलाई को उज्जैन से वापस घर लौट रहा था। इस दौरान बारिश से बचने के लिए वह नरवर बायपास पर बायो पेट्रोल पंप के समीप टायर की दुकान पर खड़ा हो गया। यहां आरोपी साहिल मोहम्मद पहले से खड़ा था और नशे में था। श्रवण बार-बार उसे दूर जाने के लिए कह रहा था। इसी दौरान उसने साहिल को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इससे आक्रोशित साहिल ने मारपीट करते हुए पत्थर से उसका सिर कुचल कर मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया था।

नागपंचमी पर किया भोलेनाथ व नाग मंदिर पर श्रृंगार

रतलाम । नाग पंचमी के अवसर पर विनोबा नगर स्थित संकट हरण नाग देवता मंदिर पंडित श्याम सुंदर दुबे व नागरिको ने भोलेंनाथ व नाग मंदिर पर श्रृंगार किया । पंडित श्याम सुंदर दुबे ,भाजपा मंडल अध्यक्ष सोना शर्मा, मोहनलाल मुरलीवाला सहित का नागरिको ने अभिनंदन किया अंत में आरती कर प्रसादी वितरित की गई अनेको क्षेत्रवासी मौजूद थे।

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास, अनुभाग-मल्हारगंज क्षेत्र इन्दौर, म०प्र०

(कोर्ट रूम नं० 29 प्रथम तल संयुक्त तहसील कार्यालय, सुपर कोरिडोर पर रेलवे ब्रिज के पास टिंगरिया बादशाह जिला इंदौर)

क्रमांक 726/लोक न्यास. / 2025
इन्दौर, दिनांक 29/07/2025

:: विज्ञप्ति ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक सेठ बख्तरामजी बच्छाराज भण्डारी श्री प्राणनाथ संस्था, तर्फे अध्यक्ष एवं अधिकृत न्यासी श्रीमती सुशीला पति श्री बालकृष्ण भण्डारी तर्फे आममुख्यार दिनेश प्रसाद मिश्र पिता मिथिला प्रसाद मिश्रा कार्यालय पता 76, सीतलामाता बाजार, इंदौर द्वारा ट्रस्ट की सम्पत्ति 8 नजर अली मार्ग उज्जैन क्षेत्रफल 2114.62 वर्गफीट एवं 9 नजर अली मार्ग उज्जैन क्षेत्रफल 6811.59 वर्गफीट ओपन एरिया में से 4005.87 के वर्गफीट के लगभग भूमि विकय किये जाने हेतु आवेदन पत्र मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत विकय की अनुमति के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में किसी संस्था या व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 07/08/20245 को इस न्यायाल के समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधी के माध्यम से मय प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जाकर प्रकरण में आपके विरूद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किये जायेंगे। आज दिनांक 29/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

पंजीयक लोक न्यास,
अनुभाग-मल्हारगंज इन्दौर जिला इंदौर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील कनाड़िया जिला इन्दौर

क्रमांक 824/री.तह./25 इन्दौर, दिनांक 24/7/25

:: विज्ञप्ति::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री देवी मातोश्री सामाजिक सेवा संस्था जिला इंदौर म.प्र. द्वारा ग्राम बुरानाखेड़ी तहसील कनाड़िया में आवासीय योजना हेतु ग्राम बुरानाखेड़ी की भूमि खसरा नंबर 88/292/2, 88/292/3 88/292/4, 88/292/5, 88/292/1 रकबा क्रमशः 0.380, 0.380, 0.380, 0.380 0.380 हैक्टेयर भूमि को आवंटन किये जाने हेतु मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 के तहत भूमि आवंटन बाबद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवेदन के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस न्यायालय में 15 दिवस में स्वयं अथवा अपने किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी

नायब तहसीलदार तहसील कनाडिया, इन्दौर

आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (ई.डब्लू.एस.) एवं निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) श्रेणी में भूखण्डों के विक्रय/आवंटन के संबंध में सूचना वसंत कुंज, ग्राम-राहूखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर भूखण्ड की योजना

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कॉलोनियों का विकास नियम 2014 के अंतर्गत हमारे द्वारा **ग्राम राहूखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर** के खसरा नंबर 101/1 रकबा 1.315 हैक्टेयर में से 1.191 हैक्टेयर भूमि पर विकसित आवासीय कॉलोनी **'वसंत कुंज'** नाम दिया गया है, नगर तथा ग्राम निवेश से मानचित्र स्वीकृत करवाया गया है तथा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला इन्दौर द्वारा उक्त भूमि का व्यपवर्तन कराकर कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर के द्वारा 179/बी-121/2023-24 दिनांक 21.07.2023 द्वारा विकास अनुमति प्राप्त कर उक्त भूमि पर आवासीय कॉलोनी **वसंत कुंज** का निर्माण किया गया है।

योग्यता मापदण्ड: 1. आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल निवासी पत्र 2. आवेदक को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग की पात्रता हेतु आय वर्ग का होना आवश्यक है सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आय का प्रमाण पत्र 3. आवेदक अथवा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से म.प्र. राज्य में कोई आवास/भूखण्ड न हो शपथ पत्र/घोषणा पत्र 4. कोई भी आवेदन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर का होगा। उक्त सभी दस्तावेज की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है 5. भूखण्ड का आवंटन लाटरी सिस्टम से किया जावेगा जिसमें अंतिम निर्णय प्रबंधक का मान्य होगा।

वसंत इन्फ्रा, मार्केटिंग ऑफिस: ग्राम राहूखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर, मो. 96447 11777

डी.पी. आभूषण लिमिटेड

DP

CIN: L74999MP2017PLC043234
Regd. Office: 138, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.) - 457001, भारत
Corp. Office: 19, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.) - 457001, भारत
दूरभाष क्रमांक: +91 -7412 -490966, 408900, E-mail: cs@dpjewellers.com; Website: www.dpjewellers.com

30-06-2025 को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम

आंकड़े लाख में
(प्रति अंश आय को छोड़कर)

विवरण	मानक वित्तीय परिणाम		
	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
	30-06-2025 अनअंकेक्षित	30-06-2024 अनअंकेक्षित	31-03-2025 अंकेक्षित
व्यापार से कुल आय	54131.93	50472.44	331234.54
शुद्ध लाभ (कर और असाधारण वस्तुओं से पहले)	4859.31	3365.03	15097.65
शुद्ध लाभ (कर से पहले और असाधारण वस्तुओं के बाद)	4859.31	3365.03	15097.65
शुद्ध लाभ (कर और असाधारण वस्तुओं के बाद)	3642.36	2507.69	11269.55
कुल व्यापक आय (कर एवं अन्य व्यापक आय के बाद)	3636.75	2506.15	11247.13
सामान्य अंश पूंजी (प्रति अंश रुपया 10/-)	2266.04	2225.49	2266.04
संचय (पिछले वर्ष की अंकेक्षित तलपट के अनुसार पुनर्मूल्यांकित संचय को छोड़कर)	-	-	38147.46
प्रति अंश आय (जारी और बंद किए गए व्यापार के लिए)			
मूल: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किए)	16.07	11.27	50.04
मिश्रित: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किए)	16.05	11.27	49.98

टिप्पणियाँ:
उपरोक्त वित्तीय परिणाम सेबी (सूचि निर्धारण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बी.एस.ई. लिमिटेड के साथ दायर वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक भाग है। 30-06-2025 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणाम NSE की वेबसाइट www.nseindia.com, BSE की वेबसाइट www.bseindis.com और कंपनी की वेबसाइट www.dpjewellers.com पर उपलब्ध हैं।

डी. पी. आभूषण लिमिटेड
-एस डी -
संतोष कटारिया, प्रबंध निर्देशक
DIN - 02855068

दिनांक: 29 जुलाई, 2025
स्थान: रतलाम

विस्तृत वित्तीय विवरण के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें